बीकानेर नगर निगम

¼LVkEi 'kqYd ij vf/kHkkj½ fu;e] 2010

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2009 की धारा 339 की उप धारा {A}) संपठित धारा 103 की उपधारा (1) के खण्ड (ix), 108, 109, 111 द्वारा प्रदत्त, शक्तियों के अनुसरण में बीकानेर नगर निगम एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है नामतः–

1- lf{kIr uke] lhek rFkk i ek i%&

i. ये नियम बीकानेर नगर निगम (स्टाम्प शुल्क पर अधिभार नियम), 2010 कहलाऐगें।
ii. इन नियमों का प्रभाव बीकानेर नगर निगम की समस्त सीमा में होगा।
iii. ये नियम तुरन्त प्रभावशील होगें।

2- ifjHkk"kk,%&

(अ) जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो इन नियमों के प्रयोजनार्थः–

i- स्टाम्प शुल्क से अभिप्रेत है भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) में स्टाम्प शुल्क की दी गई परिभाषा से है।
ii- अधिनियम से अभिप्रेत राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (राजस्थान अधिनियम संख्या 18 सन् 2009) से है।
iii- अधिभार से अभिप्रेत अचल संपत्ति के विक्रय हस्तांतरण अथवा स्वत्वान्तरण पत्र के हस्तांतरण की अवस्था में पंजीकरण कराये जाने पर देय स्टाम्प शुल्क पर अधिरोपित अधिभार से है।
iv- सक्षम अधिकारी से अभिप्रेत है मुख्य नगर पालिका अधिकारी ।
v- निगम से तात्पर्य है बीकानेर नगर निगम से अभिप्रेत है।
vi- प्रपत्र से अभिप्रेत इन नियमो ंके साथ संलग्न प्रपत्र से है।
vii- मुख्य नगर पालिका अधिकारी से अभिप्रेत मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं आयुक्त से है।
viii- बैंकर से अभिप्रेत है निगम द्वारा अधिकृत शिड्यूल बैंक से है।
ix- हस्तांतरण पत्र से अभिप्रेत अचल संपत्ति के विक्रय पत्र अथवा ऐसे राजस्व कार्य जिसके द्वारा अचल संपत्तियों का हस्तांतरण किया जावें इसमें लीज पर किया गया विक्रय अथवा हंस्तातरण एवं किराया पद्धति से किया गया अथवा अन्य प्रकार से किया गया विक्रय अभिलेख संभावित है।
x- अध्यक्ष से अभिप्रेत है महापौर से है।
xi- सक्षम अधिकारी से अभिप्रेत है जिसे निगम द्वारा इन नियमों के प्रयोजनार्थ अधिकृत किया जावे।
xii- अचल संपत्ति का हस्तांतरण से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई जीवित स्वयं और व्यक्ति एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को या स्वयं को अथवा

स्वयं और एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को सम्पति हस्तान्तरित करता है।

Li"Vhdj.k& जीवित व्यक्ति में कम्पनी या संगम या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो आता है, किन्तु इसमें रहन के द्वारा या उपहार के द्वारा या वसीयत के द्वारा किया अचल संपत्ति का हस्तान्तरण सम्मिलित नही है।

अन्य शब्दों एवं अभिव्यक्ति की वही परिभाषा होगी जो संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (अधिनियम संख्या 4 सन् 1982) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) राजस्थान पंजीकरण नियम, 1955 तथा जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंतर्गत परिभाषित है।

3- dj dk vkjksi.k&

निगम की सीमा मे किसी प्रकार की अचल संपत्ति के हस्तान्तरण पर जिसका की हस्तान्तरण पत्र तैयार किया गया है तथा जिसका पंजीयक कार्यालय में पंजीकरण करवाया जाना है पर देय स्टाम्प शुल्क के मूल्य पर दस प्रतिशत अधिभार उद्ग्रहित होगा।

4- vf/kHkkj lxg.k dh i.kkyh&

(1) उपरोक्त नियम 3 के अन्तर्गत देय अधिभार की राशि पंजीयक कार्यालय में हस्तान्तरण पत्र के पंजीकरण से पूर्व संबंधित क्रेता अथवा विक्रेता जैसी भी अवस्था हो, द्वारा निगम कार्यालय अथवा बैंकर के पास प्रपत्र 1 में निंधारित चालान द्वारा जिसको सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जावेगा, 4 प्रतियों में जमा करायी जायेगी। जिसकी एक प्रति हस्तान्तरण पत्र के साथ संलग्न की जावेगी तथा दो प्रतियां बैकं के पास तथा एक प्रति जमाकर्त्ता द्वारा स्वयं के पास रखी जावेगी, बैंकर के पास अधिभार की राशि जमा कराये जाने की अवस्था में बैंकर द्वारा प्रत्येक माह के अंत में ऐसे प्रस्तुत समस्त चालानों की एक एक प्रति निगम के मुख्य कार्यालय में भिजवाई जावेगी । निगम कार्यालय मे राशि जमा होने की अवस्था में चालान की दो प्रतियों में से एक प्रति संबंधित रोकड़पाल के पास रखी जावेगी तथा एक प्रति रोकड़पाल द्वारा सक्षम अधिकारी के पास भेजी जावेगी। जिसका समस्त लेखा जोखा सक्षम अधिकारी द्वारा रखा जावेगा।

(2) पंजीयक का यह दायित्व होगा कि वह हस्तांतरण पत्र के पंजीकरण के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि नियम 3 में देय अधिभार की राशि उपरोक्त उप–खण्ड 1 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार जमा करायी गई है तथा हस्तांतरण पत्र के साथ उक्त जमा कराई गयी राशि का चालान प्रपत्र 1 संलग्न है । पंजीयन के समय अधिभार जमा कराने का प्रपत्र 1 प्रस्तुत नहीं करने की व्यवस्था में पंजीयक, नगर निगम को सुचित करते हुए हस्तांतरण प्रपत्र प्रस्तुंत करने वाले व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि अधिकतम 7 दिवस में अधिकार जमा कराके प्रपत्र प्रस्तुत करे।

5. fujh{k.k&

(1) मुख्य नगर पालिका अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी जो कि राजस्व निरीक्षक नीचे का पद नही होगा उसे अधिकार होगा कि वह पंजीयक कार्यालय में पंजीकरण पत्रिकाओं का निरीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करे कि नियम 3 मे देय अधिकार की राशि नियम 4 के अनुसार पूर्व रूपेण जमा कराई गई है।

(2) उक्त खण्ड (1) में उपबंधित होते हुए भी बीकानेर नगर निगम के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अधिकार होगा कि वह पंजीकरण कार्यालय में पंजीकाओं का निरीक्षण कर सकता है व नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर सकता है।

6- 'kkfLr%&

(1) यदि कोई भी क्रेता या विक्रेता इन नियमों के अन्तर्गत देय अधिभार की राशि की वंचना करता हो अथवा वंचना करने का प्रयास करता हो अथवा नियमों का उल्लघंन करता है या उल्लघंन करने का प्रयास करता है अथवा इन नियमों के अनुपालन में निगम के किसी कार्यवाही अथवा अधिकारी को अपने कर्तव्य पालन में बाधा पहुॅचाता है तो वह सक्षम दण्ड पाल के समक्ष इश्तशाशा प्रस्तुत होने पर ऐसी शास्ति का भागी होगा जो दोषसिद्धि पर दो हजार रू से कम नही हागी किन्तु जो पॉच हजार रू तक हो सकेगा, दायी होगा।

7. mDr [ाण्ड (6) में उल्लेखित चालान प्रस्तुत करने का अधिकार मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास होगा।

8. vijk/k dk i'keu बीकानेर नगर निगम या उसके द्वारा अधिकृत अपराधों का शमन व समझौता समिति द्वारा किया जा सकेगा।

बीकानेर नगर निगम

i;i= &1

nf[k;s fu;e 4¼1½

chdkusj uxj fuxe

(स्टाम्प शुल्क पर अधिभार) नियम 2010 के अन्तर्गत देय अधिभार की राशि जमा कराने का चालान

क्रमांक

1. रकम जमाकर्त्ता का नाम

2. हस्तांतरण की जाने वाली सम्पति का पूर्ण विवरण व पता

3. अचल संपत्ति का मूल्य
   (जिसका हस्तान्तरण पत्र पंजीकृत करवाया जाता है)

4. स्टाम्प शुल्क का मुल्य

2. अधिभार की राशि

3. शीर्षक

4. सत्यापन करने वाले अधिकारी का पद नाम एवं हस्ताक्षर

5. राशि (मुल्य शब्दों में)

दिनॉक

जमाकर्त्ता के हस्ताक्षर — हस्ताक्षर रोकड़पाल बैंकर

नाम ....
पता ....

l{ke vf/kdkjh
chdkusj uxj fuxe